भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2542

मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया योजनाएं

2542. श्री अरविंद गणपत सावंतः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का राज्य के ग्रामीण और पिछड़े जिलों में युवा उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नीतिगत परिवर्तनों या योजनाओं के अभिसरण के लिए प्रस्तावित रूपरेखा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में महाराष्ट्र के आकांक्षी जिलों में उद्यमिता प्रोत्साहन की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक पहल है। सरकार ने नवप्रयोग, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए और देश के स्टार्टअप ईकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक सुदृढ़ ईकोसिस्टम का निर्माण करने हेतु 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार तीन प्रमुख स्कीमें कार्यान्वित कर रही है, नामतः स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस), ताकि स्टार्टअप्स को फंडिग के अवसर उपलब्ध कराने और उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान की जा सके।

एफएफएस को उद्यम पूंजी निवेश की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए स्थापित किया गया है और इसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संचालित किया जाता है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)-

पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) को पूंजी प्रदान करता है, जो आगे स्टार्टअप्स में निवेश करती हैं। 31 अक्तूबर, 2025 की स्थिति के अनुसार, विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य के लिए, एफएफएस के अंतर्गत, 80 एआईएफ को 6821.95 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।

एसआईएसएफएस, इन्क्यूबेटर्स के माध्यम से आरंभिक स्तर के स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एसआईएसएफएस 1 अप्रैल, 2021 से लागू है। 31 अक्तूबर, 2025 की स्थिति के अनुसार, एसआईएसएफएस के तहत विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य के 29 इन्क्यूबेटर्स के लिए 120.75 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए हैं।

सीजीएसएस को स्टार्टअप्स को पात्र वित्तीय संस्थानों के माध्यम से बंधक रहित ऋण प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया गया है। सीजीएसएस राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड द्वारा संचालित है, और 1 अप्रैल, 2023 से प्रचालन में है। 31 अक्तूबर, 2025 की स्थिति के अनुसार, सीजीएसएस के तहत, विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य के स्टार्टअप्स ऋणप्राप्तकर्ताओं को, 159.56 करोड़ रुपए के कुल 72 ऋणों की गारंटी दी गई है।

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग के अनुसार, सरकार ने 5 अप्रैल, 2016 को स्टैंड-अप इंडिया स्कीम भी शुरू की, जिसका उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की प्रति बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने और और कृषि से संबद्ध कार्यकलापों हेतु 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के मध्य के ऋण की सुविधा प्रदान करना है। विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य में इस स्कीम की शुरुआत के बाद से 25,655 ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

(ख) से (घ): सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सहित देशभर के ग्रामीण, पिछड़े और आकांक्षी जिलों में युवा उद्यमियों की सहायता के लिए विभिन्न उपाय और स्कीमें शुरू की हैं। इस प्रकार की पहलों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, 31 अक्तूबर, 2025 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र के 4 आकांक्षी जिलों अर्थात नंदुरबार, वाशिम, गढ़चिरौली और उस्मानाबाद (धाराशिव) में डीपीआईआईसी से मान्यताप्राप्त कुल 215 स्टार्टअप हैं।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 16.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2542 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

महाराष्ट्र राज्य सहित देशभर के ग्रामीण, पिछड़े और आकांक्षी जिलों में युवा उद्यमियों की सहायता के लिए किए गए प्रमुख उपाय

1. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) अपने स्वायत्त संस्थानों नामत: राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) के माध्यम से महाराष्ट्र सहित देशभर में महिलाओं, वंचित समुदायों और निम्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के मध्य उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। एमएसडीई ने सहायक उद्यमिता ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें की हैं, जिसमें उद्यमशीलता की मानसिकता और क्षमताओं का निर्माण करने और उद्यमों की मदद करने और उन्हें विकसित करने के लिए कार्यक्रम शामिल हैं। सरकार ने विभिन्न ईडीपी और ईएसडीपी कार्यक्रमों, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, वित्तीय/ऋण और बाजार लिंकेज और उद्योग संपर्क के माध्यम से प्रतिभागियों के कौशल को बढ़ाया है। एनआईईएसबीयूडी ने आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) स्कीम के तहत समाज के विभिन्न वंचित वर्गों और महिलाओं के उद्यमिता ईकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। इसके अलावा, एमएसडीई, एनआईईएसबीयूडी और आईआईई के माध्यम से, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के उत्थान के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की पीएम-जनमन स्कीम के कौशल और उद्यमिता घटक को कार्यान्वित कर रहा है।

2. भारत सरकार ने 5 जनवरी, 2018 को नीति आयोग के नेतृत्व में आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया था। इसका उद्देश्य, भारत के सबसे कम विकसित जिलों, जिन्हें आकांक्षी जिला कहा जाता है, में परिवर्तनकारी बदलाव लाना है। महाराष्ट्र राज्य सहित 26 राज्यों तथा 1 संघ राज्य क्षेत्र में 112 आकांक्षी जिले हैं। महाराष्ट्र में कुल 4 आकांक्षी जिले हैं, अर्थात नंदुरबार, वाशिम, गढ़चिरौली और उस्मानाबाद (धाराशिव)। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य और पोषण, स्कूली शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास तथा आधारभूत अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) के आधार पर आकांक्षी जिलों की प्रगति को मॉनीटर करता है ताकि नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने या आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक ऐसे प्रदर्शन संकेतकों में सुधार करके विकास के मार्ग को प्रशस्त किया जा सके। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की व्यापक रणनीति 3 सी - कनवर्जेंस (केंद्र और राज्य की स्कीमों के मध्य), सहयोग (केंद्र, राज्य, जिला प्रशासन, विकास भागीदारों और नागरिकों के मध्य) और प्रतिस्पर्धा (जिलों के मध्य) पर आधारित है।

3. स्टैंड अप इंडिया के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएसआई) 25 अप्रैल, 2016 को शुरू की गई थी, जिसमें बिना किसी बंधक सुरक्षा और/या तृतीय-पक्ष गारंटी के, ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को 10 लाख रुपए से अधिक और 100 लाख रुपए (कार्यशील पूंजी सहित) की सहायता शामिल है।

4. सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत एमएसडीई, देशभर में विभिन्न स्कीमों, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के तहत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः कौशल और कौशल उन्नयन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करता है।

5. ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) के माध्यम से गैर-कृषि आजीविका क्षेत्र में छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उनके परिवार के सदस्यों की सहायता करता है।

6. स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत प्रमुख फंडिंग स्कीमें, (एफएफएस, एसआईएसएफ, और सीजीएसएस), राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क एक्सरसाइज, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार, नवप्रयोग सप्ताह और स्टार्टअप महाकुंभ जैसे कार्यक्रम, मेंटरशिप, अवसंरचना तक पहुंच, संसाधनों और ज्ञान को साझा करने, बाजार लिंकेज में सहायता और निवेशक संपर्क और जिला आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से स्टार्टअप की सहायता करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यकलाप जमीनी स्तर पर नवप्रयोग को प्रोत्साहित करने और उद्यमियों द्वारा देश भर में स्टार्टअप की स्थापना के उद्देश्य से किए जा रहे हैं।

7. शिक्षा मंत्रालय का नवप्रयोग प्रकोष्ठ (एमआईसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) शैक्षणिक संस्थानों में नवप्रयोग और उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हैं।

8. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा मेरा युवा भारत (माई भारत) नामक स्वायत्त निकाय की स्थापना जैसी युवा-केंद्रित पहलें शुरू की गई हैं, जिनका उद्देश्य, अनुभव आधारित शिक्षण कार्यक्रम (ईएलपी), स्वयंसेवा के अवसर, मेंटरशिप कार्यक्रम आदि के माध्यम से युवा विकास और युवा-नेतृत्व वाले विकास के लिए एक प्रौद्योगिकी संचालित व्यापक व्यवस्थागत प्रणाली उपलब्ध कराना है।

9. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए), अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए 'सीखो और कमाओ', 'विकास के लिए पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण (उस्ताद), 'नई रोशनी' और 'नई मंजिल' जैसी विभिन्न कौशल विकास स्कीमें कार्यान्वित करता है। इन स्कीमों और पहलों को अब 'प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन' (पीएम विकास) नामक एकीकृत स्कीम के अंतर्गत समाहित कर दिया गया है।

*****